न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./88/2022

फूलवती पत्नि स्व. गोविन्द सिंह जाति निवासी महरावर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–रोशन सिंह पुत्र टुण्डी जाति जाट निवासी महरावर तहसील कुम्हेर
2–उम्मेद सिंह पुत्र हरिया
3–अंगूरी पत्नी राजपाल
4–खुशबू कुमारी पुत्री प्रतापसिंह
5–रुचि कुमारी पुत्री प्रतापसिह
6–गायत्री पत्नी प्रतापसिह
7–पुष्पेन्द्र पुत्र प्रतापसिह
8–सुनील कुमार पुत्र प्रतापसिह
9–चेतराम पुत्र राजपाल
10–चरनसिंह पुत्र राजपाल
11–हाकिम सिंह पुत्र राजपाल
12–मछला पुत्री राजपाल
13–श्रीमती पुत्री राजपाल
14–पूरनसिंह पुत्र रामसिंह
15–भगवानसिंह पुत्र रामसिंह
16–योगेन्द्र पुत्र जसमत
17–लीलावती पत्नी भगवान सिंह
18–गजराज पुत्र जसमत
19–डोरीलाल पुत्र रामप्रसाद
20–नवलसिंह पुत्र रामप्रसाद
21–जगदीश पुत्र गोविन्द सिंह
22– देवेश पुत्र गोविन्द सिंह
23– राजस्थान सरकार

समस्त जातियान जाट निवासीयान ग्रांम महरावर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर पीठासीन अधिकारी सुश्री वर्षा मीणा वमुकदमें उनवानी रोशन बनाम उम्मेद सिंह वगे0 दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटी एक्ट दावा संख्या 56/21

उपस्थितः–
1–श्री गोविन्द सिंह डांगुर अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री गंगाराम शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी 1,

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

निर्णय

दिनांक 02.08.2023

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर कुम्हेर के यहाँ एक दावा बटवारे का विचाराधीन है। तहत न्यायालय ने प्रार्थीया को तलबी हेतु सम्मन तारीख पेशी दिनांक 10.9.2021 के लिए जारी किये गये, तामील कुनिन्दा ने खुले मकान पर चस्पा कर तहत न्यायालय को लोटाये गये हैं, तामील पर चस्पानगी की कोई तारीख अंकित नहीं की गई है। तामील जा0दी0 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई है। तहत न्यायालय ने जिस तारीख पेशी दिनांक 10.9.21 के नोटिस जारी किये हैं, पत्रावली की आदेशिकाओं पर कोई तारीख पेशी दिनांक 10.9.21 की नियत नहीं है तो ये सम्मन तारीख पेशी दिनांक 10.9.21 के कैसे जारी कर दिये गये हैं तथा दिनांक 31.5.2022 को प्रार्थीया की एकतरफा के आदेश पारित कर दिये गये, जबकि प्रार्थीया ग्रांम में अपने घर पर निवास करती है कोई सम्मन प्रार्थीया को प्राप्त नहीं हुआ है। तहत न्यायालय ने एकतरफा में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे तहत न्यायालय ने लेने से मना कर दिया इस प्रार्थीया के वकील साहब ने प्रार्थना पत्र पीठासीन अधिकारी की टेबिल पर छोड़ दिया। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यशैली एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना को लेने से मना कर देने से प्रार्थीया को पूर्ण शंका हो गई है कि पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी0 की तलब की गई एवं सहायक कलेक्टर, कुम्हेर से टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलेक्टर, कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण नम्बर 1 के अभिभाषक उपस्थित शेष अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी–1 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसिल किया गया। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि सहायक कलेक्टर न्यायालय में एक दावा बटवारे का विचाराधीन है, पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत तारीख पेशी के नोटिस जारी किये गये हैं, जब कि नोटिस में दी गई तारीख पेशी अलग है। तामील कुन्दिा ने सम्मन की विधवत तामील नहीं कराई गई है फिर में भी तहत न्यायालय ने तामील को सही मानकर प्रार्थीया के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर दी गई। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि प्रार्थीया ने एकतरफा कार्यवाही को खत्म करने के लिये एक प्रार्थना पत्र आदेश 9रुल13 पेश किया था जिसे तहत न्यायालय पीठासीन अधिकारी ने रिकार्ड

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पर लेने से मना कर दिया और प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। प्राथमिक डिक्री की अपील आर.ए.ए.न्यायालय में विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी प्रकरण में विशेष रुचि ले रही हैं कुरे मंगवाने के लिये तीन बार तहसीलदार को पत्र जारी किये जा चुके हैं। पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही से शंका हो गई है कि प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने कोई उम्मीद नहीं है। अतः तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को किसी अन्य अदालत में मुन्तकिल किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र निराधार झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा में सभी पक्षकारान प्रतिवादीगण को नियमानुसार सम्मन जारी किये गये हैं तथा उनकी विधिवत तामील भी हुई है। प्रार्थीया को मुकदमें की आगामी तारीख पेशी के बारे जानकारी थी। तहत न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री विधिवत जारी की गई है। सहायक कलक्टर की कार्यशैली एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. को इन्टरटेन नहीं करने के आरोप बेबुनियाद एवं आधारहीन हैं। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की गरज से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान के कथनों पर मनन किया। सहायक कलक्टर कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। सहायक कलेक्टर कुम्हेर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थीया के खिलाफ की गई एकतरफा कार्यवाही तथा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत कथित प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. की बाबत वस्तुस्थिति कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। सहायक कलक्टर कुम्हेर के न्यायालय में विचाराधीन दावा संख्या 56/21 उनवानी रोशन बनाम उम्मेदसिंह वगे0 को सहायक कलेक्टर भरतपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलेक्टर,कुम्हेर एवं सहायक कलेक्टर भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03–08–2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर